IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Compliance Report
OA No. 586/2023
EA No. 18/2024
NARENDRA SIROHI
Vs
STATE OF U.P. & Ors.
Order dated 22-04-2024

Submitted by
Respondent No. 06
Ground Water Department, U.P.

INDEX

SR.NO.	ATTACHMENTS	PAGE NO.
01	Compliance Report from Ground Water Department U.P	01-03
02	Copy of Director UPGWD letter to Nodal Officer Mathura, Lt No. 148/Dated-09-05-2024 (Annuexure-1)	04-05
03	Copy of letter Nodal Officer Mathura to Director UPGWD, Lt No. 500/Dated-12-07-2024 (Annuexure-2)	06-08
04	Copy of NOC for Groundwater Extraction to issued by District Groundwater Management Council, Mathura (Annuexure-3)	09-12
05	Copy of Notice issued by DM Mathura/Chairman District Groundwater Management Council, Mathura, (Annuexure-4)	13-20

प्रेषक,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
भूजल भवन (रा0भू0सू0प्र0के0), ग्राम –हरिहरपुर,
शहीदपथ, लखनऊ।

सेवा में,

मा0 रजिस्ट्रार जनरल,
मुख्य बेन्च,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

संख्या-549/भू0ज0वि0/एस–26(एन0जी0टी0), दिनांक : लखनऊ जुलाई 22 ,2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–586/2023 श्री नरेन्द्र सिरोही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 में प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से अनुपालन आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–586/2023 श्री नरेन्द्र सिरोही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 को सुनवाई उपरान्त आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

Applicant is seeking execution of the order dated 04.10.2023 passed in OA No. 586/2023. In that OA, Applicant had raised the issue of pollution being caused in Kotwan Industrial area of Kosi Kalan, Mathura District, Uttar Pradesh. Tribunal had disposed of the OA by forming a Joint Committee and directing the Joint Committee to ensure collection of water sample of discharge from the factories in the concerned area and get the report of the samples and submit it before the Tribunal. The Report was to be submitted by the Joint Committee before the Registrar General of the Tribunal within three months.

2. Submission of Learned Counsel for the Applicant is that the direction issued by the Tribunal has not been complied by the Joint Committee and that no Report of the Joint Committee has been submitted till now.

3. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

4. Respondents are also directed to file the compliance report atleast one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

5. List on 24.07.2024

उक्त पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन एवं दिनांक 24.04.2024 को मा0 अधिकरण द्वारा प्रेषित की गयी नोटिस के क्रम में प्रतिवादी संख्या 06 (निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, निदेशालय, उ0प्र0) की ओर से विभागीय मंतव्य निम्नानुसार है :

1. यह कि निदेशक, भूगर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन एवं दिनांक 24.04.2024 को मा0 अधिकरण की नोटिस के क्रम में प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले विभागीय मंतव्य/नैरेटिव शपथ पत्र को मा0 अधिकरण को प्रेषित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 148/भू0ज0वि0/एस–26(एन0जी0टी0), दिनांक 09.05.2024 **(संलग्नक–1)** के द्वारा नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद/अधिशासी अभियंता, लघु सिचांई विभाग, जनपद–मथुरा को नामित किया गया।

2. यह कि उक्त आदेशों के अनुपालनार्थ एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 148/दिनांक 09.05.2024 के अनुपालन में नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद/अधिशासी अभियंता, लघु सिचांई विभाग, जनपद–मथुरा द्वारा पत्र संख्या–500/दिनांक 12.07.2024 **(संलग्नक–2)** के माध्यम से विषयवस्तु का सत्यापन करते हुए प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया।

3. यह कि नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–मथुरा ने अपने पत्र दिनांक 12.07.2024 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त आदेश दिनांक 19.04.2024 में मा0 अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त समिति (CPCB, UPPCB, Distric Administration Mathura) द्वारा दिनांक 23.01.2024 व दिनांक 24.01.2024 को प्रश्नगत प्रकरण पर विस्तृत जॉच रिपोर्ट मा0 अधिकरण को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

4. यह कि प्रश्नगत वाद में दाखिल किये गए EA NO- 18/2024 में प्रस्तर संख्या 5.10 में प्रतिवादी संख्या 08 से 20 तक के प्रतिवादी फर्मों द्वारा अवैध रुप से भूगर्भ जल निष्कर्षण किये जाने व फर्म से निकलने वाले दूषित जल को कोसी नाले के पास बाहर खुले में डाले जाने की बात वर्ती गयी है, जिसके सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना विभाग से आपेक्षित है।

5. यह कि प्रस्तर संख्या 5.10 के कम में नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि वाद में प्रतिवादी संख्या 14 (मैसर्स शैलेन्द्र डाइंग, मथुरा) व प्रतिवादी संख्या 15 (मैसर्स श्रीजी पॉलीफेब प्रा0लि0, मथुरा) को भूजल निष्कर्षण हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, मथुरा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र **(संलग्नक–3)** निर्गत किया गया है।

6. यह कि प्रस्तर संख्या 5.10 के कम में नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिवादी संख्या 08 से 13 व 16 से 20 (यथा मैसर्स आर्या इंडस्टी, मैसर्स श्रवण टेक्स प्रिन्ट प्रा0लि0, मैसर्स जैन्को इण्डिया, मैसर्स रैडाक्स डेनिम हब, मैसर्स बालाजी कलर्स केयर, मैसर्स श्रीबालाजी प्रॉसेसर्स, मैसर्स टी0डी0 प्रॉसेस, मैसर्स वैष्णवी टेक्स प्रिन्ट, मैसर्स डेनिम टच, मैसर्स आर0के0 प्रॉसेस, मैसर्स एस0पी0एस0 प्रॉसेसर्स प्रा0लि0, मथुरा) द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, मथुरा से भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है।

7. यह कि प्रतिवादी संख्या 08 से 13 व 16 से 20 (यथा मैसर्स आर्या इंडस्टी, मैसर्स श्रवण टेक्स प्रिन्ट प्रा0लि0, मैसर्स जैन्को इण्डिया, मैसर्स रैडाक्स डेनिम हब, मैसर्स बालाजी कलर्स केयर, मैसर्स श्रीबालाजी प्रॉसेसर्स, मैसर्स टी0डी0 प्रॉसेस, मैसर्स वैष्णवी टेक्स प्रिन्ट, मैसर्स डेनिम टच, मैसर्स आर0के0 प्रॉसेस, मैसर्स एस0पी0एस0 प्रॉसेसर्स प्रा0लि0, मथुरा) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, मथुरा के माध्यम से अवैध भूजल दोहन किये जाने हेतु नोटिस **(संलग्नक–4)** जारी की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 **संख्या**–586/2023 श्री नरेन्द्र सिरोही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन में मा0 अधिकरण द्वारा नामित सयुक्त समिति की जॉच रिपोर्ट एवं नोडल अधिकारी, जनपद मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या के कम में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 06 (निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, निदेशालय, उ0प्र0) की ओर से अनुपालन आख्या अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

संख्या– (1)/भू0ज0वि0/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:–

1– जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद मथुरा, उ0प्र0।
2– नोडल अधिकारी, जनपद–मथुरा।

(डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

4. यह कि प्रश्नगत वाद में दाखिल किये गए EA NO- 18/2024 में प्रस्तर संख्या 5.10 में प्रतिवादी संख्या 08 से 20 तक के प्रतिवादी फर्मों द्वारा अवैध रुप से भूगर्भ जल निष्कर्षण किये जाने व फर्म से निकलने वाले दूषित जल को कोसी नाले के पास बाहर खुले में डाले जाने की बात वर्ती गयी है, जिसके सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना विभाग से आपेक्षित है।

5. यह कि प्रस्तर संख्या 5.10 के क्रम में नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि वाद में प्रतिवादी संख्या 14 (मैसर्स शैलेन्द्र डाइंग, मथुरा) व प्रतिवादी संख्या 15 (मैसर्स श्रीजी पॉलीफेब प्रा0लि0, मथुरा) को भूजल निष्कर्षण हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, मथुरा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र **(संलग्नक–3)** निर्गत किया गया है।

6. यह कि प्रस्तर संख्या 5.10 के क्रम में नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिवादी संख्या 08 से 13 व 16 से 20 (यथा मैसर्स आर्या इंडस्टी, मैसर्स श्रवण टेक्स प्रिन्ट प्रा0लि0, मैसर्स जैन्को इण्डिया, मैसर्स रैडाक्स डेनिम हब, मैसर्स बालाजी कलर्स केयर, मैसर्स श्रीबालाजी प्रॉसेसर्स, मैसर्स टी0डी0 प्रॉसेस, मैसर्स वैष्णवी टेक्स प्रिन्ट, मैसर्स डेनिम टच, मैसर्स आर0के0 प्रॉसेस, मैसर्स एस0पी0एस0 प्रॉसेसर्स प्रा0लि0, मथुरा) द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, मथुरा से भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है।

7. यह कि प्रतिवादी संख्या 08 से 13 व 16 से 20 (यथा मैसर्स आर्या इंडस्टी, मैसर्स श्रवण टेक्स प्रिन्ट प्रा0लि0, मैसर्स जैन्को इण्डिया, मैसर्स रैडाक्स डेनिम हब, मैसर्स बालाजी कलर्स केयर, मैसर्स श्रीबालाजी प्रॉसेसर्स, मैसर्स टी0डी0 प्रॉसेस, मैसर्स वैष्णवी टेक्स प्रिन्ट, मैसर्स डेनिम टच, मैसर्स आर0के0 प्रॉसेस, मैसर्स एस0पी0एस0 प्रॉसेसर्स प्रा0लि0, मथुरा) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, मथुरा के माध्यम से अवैध भूजल दोहन किये जाने हेतु नोटिस **(संलग्नक–4)** जारी की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 **संख्या–586/2023** श्री नरेन्द्र सिरोही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन में मा0 अधिकरण द्वारा नामित सयुक्त समिति की जॉच रिपोर्ट एवं नोडल अधिकारी, जनपद मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 06 (निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, निदेशालय, उ0प्र0) की ओर से अनुपालन आख्या अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

संख्या–549 **(1)/भू0ज0वि0/तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है:–

1– जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद मथुरा, उ0प्र0।
2– नोडल अधिकारी, जनपद–मथुरा।

(डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

Phone : (Office) 0522-2287068
(Office) 0522-2287233
Fax : (Office) 0522-2286471
E-mail : upgwd.in@gmail.com
Website : http://upgwd.gov.in

एन0जी0टी0/कोर्ट केस/महत्वपूर्ण।
ई–मेल के माध्यम से

कार्यालय निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
भूजल भवन (रा0भू0सू0प्र0के0),
हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ।

संख्या– 148 /भू0ज0वि0/एस–26(एन0जी0टी0) दिनांक/लखनऊ/मई 09 2024

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित E.A. No. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, जनपद–मथुरा।

उपरोक्त विषयक सलाहकार (न्यायिक), मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली के नोटिस दिनांक 22–04–2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित **E.A. No. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors** में पारित आदेश दिनांक 19–04–2024 का सन्दर्भ देते हुए नोटिस इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है–

".....Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 19.04.2024 (copy of order, petition & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):

" 3. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

4. Respondents are also directed to file the compliance report atleast one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

5. List on 24.07.2024."

******

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 24th July, 2024, at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file report/reply, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 19.04.2024.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 22nd April, 2024....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा प्रेषित न्यायिक नोटिस निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को प्रतिवादी संख्या–06 बनाया गया है एवं उक्त वाद की आगामी सुनवाई की दिनांक 24–07–2024 नियत की गयी है।

अतएव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित E.A. No. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 19–04–2024 के अनुपालन हेतु उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए तथ्यो की जॉच/स्थलीय सत्यापन आख्या के साथ सम्पूर्ण विवरण तैयार करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले विभागीय मंतव्य/पैरावाईस नैरेटिव तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली के सम्मुख ई–मेल आई0डी0 judicial-ngt@gov.in पर ससमय दखिल किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में मा0 अधिकरण द्वारा पारित किसी भी विपरीत आदेश के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9.5.24

(डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

संख्या– /भू0ज0वि0,तादिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली।
2– जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, जनपद–मथुरा।
3– सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, जियोफिजिकल खण्ड–आगरा।

(डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

Phone : (Office) 0522-2287068
(Office) 0522-2287233
Fax : (Office) 0522-2286471
E-mail : upgwd.in@gmail.com
Website : http://upgwd.gov.in

एन0जी0टी0/कोर्ट केस/महत्वपूर्ण।
ई–मेल के माध्यम से

कार्यालय निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
भूजल भवन (रा0भू0सू0प्र0के0),
हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ।

संख्या– /भू0ज0वि0/एस–26(एन0जी0टी0) दिनांक/लखनऊ/मई 09 2024

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित E.A. No. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, जनपद–मथुरा।

उपरोक्त विषयक सलाहकार (न्यायिक), मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली के नोटिस दिनांक 22–04–2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित **E.A. No. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors** में पारित आदेश दिनांक 19–04–2024 का सन्दर्भ देते हुए नोटिस इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है–

".....Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 19.04.2024 (copy of order, petition & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):

" 3. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

4. Respondents are also directed to file the compliance report atleast one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

5. List on 24.07.2024."

******

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 24th July, 2024, at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file report/reply, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 19.04.2024.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 22nd April, 2024....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा प्रेषित न्यायिक नोटिस निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को प्रतिवादी संख्या–06 बनाया गया है एवं उक्त वाद की आगामी सुनवाई की दिनांक 24–07–2024 नियत की गयी है।

अतएव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित E.A. No. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 19–04–2024 के अनुपालन हेतु उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए तथ्यो की जॉच/स्थलीय सत्यापन आख्या के साथ सम्पूर्ण विवरण तैयार करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले विभागीय मंतव्य/पैरावाईस नैरेटिव तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली के सम्मुख ई–मेल आई0डी0 judicial-ngt@gov.in पर ससमय दखिल किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में मा0 अधिकरण द्वारा पारित किसी भी विपरीत आदेश के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

संख्या– 148 /भू0ज0वि0,तादिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली।
2– जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, जनपद–मथुरा।
3– सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, जियोफिजिकल खण्ड–आगरा।

9.5.24

(डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

प्रेषक,

मनोज कुमार जायसवाल
नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
जनपद मथुरा।

सेवा में,

निदेशक भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0
भूजल भवन (रा0भू0सू0प्र0के0)
हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ।

पत्रांकः 500 /नोडल ग्राण्उड वाटर/ल0सि0/2024-25 दिनांकः 12-07-2024

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित E.A. NO. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State Of Utter Pradesh &Ors में पारित आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके पत्रांक 148/भू0ज0वि0/एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक/लखनऊ/09.5.2024 द्वारा जॉच/स्थलीय सत्यापन आख्या एवं विभागीय मंतव्य/पैरा वाईस नैरेटिव तैयार कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान किया गया है।

जॉच/स्थलीय सत्यापन आख्या एवं विभागीय मंतव्य/पैरा वाईस नैरेटिव हेतु सूचना संलग्न कर प्रेषित है।

साथ ही सूच्य हे कि क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मथुरा द्वारा अपनी ओर से 196 पेज का विस्तरित आख्या मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित कर दी गयी है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

नोडल अधिकारी अधिकारी/जिला भूगर्भ
जल प्रबन्धन परिषद जनपद मथुरा।
अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई प्रखण्ड
आगरा।

पत्रांकः /नोडल ग्राण्उड वाटर/ल0सि0/2024-25 दिनांक :उक्त।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद-मथुरा।

नोडल अधिकारी अधिकारी/जिला भूगर्भ
जल प्रबन्धन परिषद जनपद मथुरा।
अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई प्रखण्ड
आगरा।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में योजित E.A. NO. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State Of Utter Pradesh &Ors में प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास एवं प्रस्तरवार आख्या–

संक्षिप्त इतिहास– याचि श्री नरेन्द सिरोही द्वारा योजित इस रिट में प्रतिवादी संख्या–6 पर निदेशक भूगर्भ जल विभाग उ०प्र०भूजल भवन (रा०भू०सू०प्र०के०) हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ रखा गया है।

उपरोक्त के कम में सूच्य है कि रिट की मूल भावना के कम में JOINT COMMITTEE OF CPCB, UPPCB, & DISTRICT ADMINISTRATION OF DISTT. MATHURA द्वारा 23 व 24/01/2024 की जॉच रिपोर्ट अलग से आपको प्रेषित की गयी है।

प्रतिवादी संख्या–6 द्वारा प्रकरण में प्रस्तरवार आख्या निम्न प्रकार हैः–

1. यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
2. यह कि प्रस्तर–2 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
3. यह कि प्रस्तर–3 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
4. यह कि प्रस्तर–4 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5. यह कि प्रस्तर–5 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

5.1यह कि प्रस्तर–5.1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.2यह कि प्रस्तर–5.2 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.3यह कि प्रस्तर–5.3 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.4यह कि प्रस्तर–5.4 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.5यह कि प्रस्तर–5.5 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.6यह कि प्रस्तर–5.6 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.7यह कि प्रस्तर–5.7 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.8यह कि प्रस्तर–5.8 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.9यह कि प्रस्तर–5.9 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

5.10 जनपद में अब तक यू०पी० ग्राउण्ड वाटर द्वारा कुल 210 N.O.C. जारी किये जा चुके है। संस्थाओं द्वारा N.O.C. प्राप्त करने हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है N.O.C. हेतु आवेदन न करने वाली संस्थाओं को जिलाधिकारी मथुरा महोदय के स्तर से नोटिस भी जारी किया जा रहा है।

इस रिट में उल्लेखित संस्थाओं के N.O.C की अद्यतन स्थिति निम्नवत हैः–

1. ARYA INDUSTRIES F-52, Kosi Kotwan, Extension-1 Kosi Kalan Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
2. SVARAN TEX PRINTS PVT. LTD. Plot No.D-25&26 Kosi Kalan, Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
3. JAINCO INDIA Plot no-D-22 Industrial Area, Kosi Kalan Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
4. M/S REDOX DENIM HUB PLOT NO. F-100 UPSIDC. Kosi Kotwan Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
5. M/S BALAJI COLOUR CARE Plot No. E-118, Kosi Kotwan Kosi Kalan Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
6. M/S SHREE BALAJI PROCESSORS Plot No. F-91, Kosi Kotwan Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
7. M/S SHAILENDER DYENG Plot No.F-75, UPSIDC Kosi Kotwan, Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. प्राप्त है।
8. SHREEJI POLYFAB PVT.LTD. H-61, Kosi Kotwan Extension-1, UPSIDA, Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. प्राप्त है।

9. T D Process Plot No.f-55, Industrial Area, Kosi Kotwan Extension-1 Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
10. VAISHNAVI TEX PRINT Plot No. E-124, Kosi Kotwan, Industrial Area, Extension-1 Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
11. M/S DENIM TOUCH Plot No. E-117, Kosi Kotwan Extension-1, Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
12. M/S RK PROCESS F-88, Industrial Area Kosi Kotwan Extension-1 Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
13. M/S SPS PROCESSORS PVT. LTD. Kosi Kotwan, UPSIDC, A 2A Industrial Area Mathura
   ग्राउण्ड वाटर N.O.C. नही है। N.O.C. लेने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

5.11 यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.12 यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5.13 यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
6.1 यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
6.2 यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
6.3 यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
6.3 यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
7. यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
8. यह कि प्रस्तर–1 में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

अतः याचि द्वारा दायर रिट याचिका E.A. NO. 18/2024 In O.A. No. 586/2023 Narender Sirohi Vs State Of Utter Pradesh &Ors चलन सार नहीं है एवं निरस्त करने योग्य है।

नोडल अधिकारी अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद मथुरा।
/अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई प्रखण्ड
आगरा।

285

Ground Water Department

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Form 8 (C)

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC038222

VALID FROM 16/11/2023 TO 15/11/2028

Name of the Applicant	SHAILENDER SINGH		
Address of the Applicant:	HOUSE NO. - 33A, NEAR HANUMAN MANDIR, VISHNU GARDEN		
Company Name:	SHAILENDER DYEING	**Company Address**	P. NO. F-75, EXTN-1 INDS AREA, KOSI KOTWAN MATHURA
Serial No. of Application Form	MTHR1023NIN0226	**Date of Submission**	16/10/2023
Specimen Signature of the User:			

Location particulars:

District	Mathura	**Block**	CHHATA
J.L. No		**Plot No.**	F-75
Municipality/Corporation	No	**Ward No.**	N/A
Holding No.			N/A
Rate of Withdrawal (m^3/hr.)	24.00	**Date of Energization (In Case of Electric Pump)**	01/07/2023

Particulars of the Proposed Well and Pumping Device:

Type of the Well	Tube Well/Boring	**Purpose of the Well**	Industrial
Assembly Size (For Tube Well)	0.00	**Approx. Strainer Length (For Tube Well)**	0.00
Diameter (For Dug Well)	0.00	**Type of Pump to be Used:**	Submersible
H.P. of the Pump:	5.00	**Operational Device**	Electric Motor
Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m^3/hr.):	24.00	**Maximum Allowable Running Hours Per Day:**	2.00
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:	14352.00	**Recharge Required:**	7176.00

- This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at SI. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at SI. (3j), for Running Hours per day as shown at SI. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at SI. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.
- Holder of this NOC is hereby directed to assure annual recharge of 7176.00 cubic meter, as specified under the application form within the given time period..

GENERAL CONDITIONS

- Holder of this NOC is hereby directed to fill from 1(A) for registering his/her well within 90 days as mentioned in application form shall only started after registration of his/her NOC.
- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at SL (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands
- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.

- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at SI. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage , this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis
- **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

  - The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
  - The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
  - No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitiring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

  - The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
  - For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
  - The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
  - All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
  - The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
  - A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
  - Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.
- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.
- **SPECIFIC CONDITIONS:**
- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
- i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
- ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
- iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m^3/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC)/ PHD Chamber of Commerce & Industries certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
- iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10 m^3 /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.
- v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
- vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
- vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
-
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
- i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
- ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m^3 /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

Date :**12/12/2023**

Place:**Mathura**

This certificate is electronically generated and does not require digital signature

287

Ground Water Department

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti

Government of Uttar Pradesh

Form 8 (C)

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC029153

VALID FROM 21/07/2022 TO 20/07/2027

Name of the Applicant	ABHISHEK GUPTA		
Address of the Applicant:	83 RISHABH VIHAR		
Company Name:	M/s SHREEJI POLYFAB PVT. LTD	**Company Address**	H-60, KOSI KOTWAN EXTENSION-1, UPSIDA
Serial No. of Application Form	MTHR0622NIN0062	**Date of Submission**	03/06/2022
Specimen Signature of the User:			
Location particulars:			
District	Mathura	**Block**	CHHATA
J.L. No		**Plot No.**	H- 60, KOSI KOTWAN EXTENSION-1, UPSIDA
Municipality/Corporation	Yes	**Ward No.**	281403
Holding No.			281403
Rate of Withdrawal (m^3/hr.)	32.00	**Date of Energization (In Case of Electric Pump)**	20/01/2020
Particulars of the Proposed Well and Pumping Device:			
Type of the Well	Tube Well/Boring	**Purpose of the Well**	Industrial
Assembly Size (For Tube Well)	0.00	**Approx. Strainer Length (For Tube Well)**	0.00
Diameter (For Dug Well)	0.00	**Type of Pump to be Used:**	Submersible
H.P. of the Pump:	3.00	**Operational Device**	Electric Motor
Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m^3/hr.):	32.00	**Maximum Allowable Running Hours Per Day:**	1.00
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:	9632.00	**Recharge Required:**	4816.00

- This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at SI. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at SI. (3j), for Running Hours per day as shown at SI. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at SI. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.
- Holder of this NOC is hereby directed to assure annual recharge of 4816.00 cubic meter, as specified under the application form within the given time period..

GENERAL CONDITIONS

- Holder of this NOC is hereby directed to fill from 1(A) for registering his/her well within 90 days as mentioned in application form shall only started after registration of his/her NOC.
- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at SL (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands

- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at SI. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage , this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis
- **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitiring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.

- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.
- **SPECIFIC CONDITIONS:**
- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
- i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
- ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
- iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m^3/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC)/ PHD Chamber of Commerce & Industries certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
- iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10 m^3 /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.
- v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
- vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
- vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
-
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
- i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
- ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m^3 /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

Date :**15/08/2022**

Place:**Mathura**

This certificate is electronically generated and does not require digital signature

पत्रांक /जि०भू०ज०प्र०प०/2022—23 ... प्रबन्धन ...

जनपद— ...

सम्बन्धित फर्म का नाम— M/.

जनपद:— मथुरा।

विषय:—

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिशद

जनपद— मथुरा।

दिनांक— 10/07/2024

पत्रांक 516 /जि०भू०ज०प्र०प०/2022—23

अन्तिम नोटिस/सूचना

सम्बन्धित फर्म का नाम— M/s RK PROCESS F-88, Industrial Area, Kosi Kotwan Extension-I Mathura U.P.

जनपद:— मथुरा।

विषय:— **भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम—2019 के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाईन एन.ओ.सी./रजिस्टशान किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम — 19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा GWD पोटल पर आवेदन नही किया गया है। परन्तु आपके द्वारा अवैध रूप से भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति समान रूप से निरन्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ०प्र० भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम—2019 लागू किया गया है, अधिनियम के प्राविधानों के समुचित एंव समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उ०प्र०(प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली—2020 भी जारी की जा चुकी है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत विविध प्राविधानों यथा कृषि एवं घरेलू उपयोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण, रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गमन आदि कार्य हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है। इन सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल (**httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra**) विकसित किया गया है जिसके संचालन हेतु लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को नोडल नामित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भूगर्भ जल के वर्तमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक उपभोक्ताओं (अधिश्ठान यथा होटलो/लॉज/आवासीय कालौनियों/रिजार्ड /निजी चिकित्सालयों/ परिचर्चा गृहो/कारोबार प्रक्षेत्रों/माला/वाटर पार्क / आर ओ प्लाट /कार धुलाई केन्द्र/कोल्ड स्टोरेज/भूगर्भ जल विक्रय व्यवसाय इत्यादि) को अपनी बोरिंग हेतु एन.ओ.सी एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य है, साथ ही उक्त फर्मो को रेनवाटर हार्वेस्टिग प्रणाली की स्थापना एवं फ्लोमीटर लगाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के पालन किये जाने हेतु पूर्व में भी दैनिक समाचारो के माध्यम से समय—समय पर प्रसारण किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक अपनी विद्यमान बोरिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण नही कराया है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 एवं नियमावली 2020 का अनुपालन न करने पर रू0 02 लाख से 05 लाख अर्थदण्ड अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम—2019 के <u>अध्याय दस के नियम 46 में दिये गये प्राविधानों</u> के अनुसार आप अपनी फर्म का 15 दिवस के अन्दर वेब पोर्टल (**httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra**) पर आवेदन कर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी फर्म के विरुद्ध भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम—2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें। इसमे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग विकास भवन मथुरा में सम्पर्क कर सकते है।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

पत्रांक /जि०भू०ज०प्र०प०/2021—22 दिनांकः—

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1— मुख्य विकास अधिकारी महोदय,मथुरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2— नोडल अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड आगरा को सूचनार्थ ।

अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
जनपद– मथुरा।

पत्रांक 517 /जि0भू0ज0प्र0प0/2022–23 दिनांक– 10/07/2024

अन्तिम नोटिस/सूचना

सम्बन्धित फर्म का नाम– M/s DENIM Touch
जनपद– मथुरा। Plot No - E-117, Kosi Kalwan Extension-I Mathura U.P

विषयः– भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम–2019 के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाईन एन.ओ.सी./रजिस्ट्रेशन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा GWD पोर्टल पर आवेदन नही किया गया है। परन्तु आपके द्वारा अवैध रूप से भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति समान रूप से निरन्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 लागू किया गया है, अधिनियम के प्राविधानों के समुचित एंव समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0(प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली–2020 भी जारी की जा चुकी है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत विविध प्राविधानों यथा कृषि एवं घरेलू उपयोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण, रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गमन आदि कार्य हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है। इन सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल (https://upgwdonline.in/Nivesh Mitra) विकसित किया गया है जिसके संचालन हेतु लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को नोडल नामित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भूगर्भ जल के वर्तमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक उपभोक्ताओं (अधिष्ठान यथा होटलो/लॉज/आवासीय कालौनियों/रिजार्डो /निजी चिकित्सालयों/ परिचर्चा गृहो/कारोबार प्रक्षेत्रों/गाला/वाटर पार्क / आर ओ प्लाट /कार धुलाई केन्द्र/कोल्ड स्टोरेज/भूगर्भ जल विक्रय व्यवसाय इत्यादि) को अपनी बोरिंग हेतु एन.ओ.सी एवं, पंजीकरण कराना अनिवार्य है, साथ ही उक्त फर्मो को रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना एवं फ्लोमीटर लगाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के पालन किये जाने हेतु पूर्व में भी दैनिक समाचारो के माध्यम से समय–समय पर प्रसारण किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक अपनी विद्यमान बोरिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण नही कराया है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 एवं नियमावली 2020 का अनुपालन न करने पर रू0 02 लाख से 05 लाख अर्थदण्ड अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम–2019 के अध्याय दस के नियम 46 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आप अपनी फर्म का 15 दिवस के अन्दर वेब पोर्टल (https://upgwdonline.in/Nivesh Mitra) पर आवेदन कर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी फर्म के विरूद्ध भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें। इसमे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग विकास भवन मथुरा में सम्पर्क कर सकते है।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

पत्रांक /जि0भू0ज0प्र0प0/2021–22 दिनांकः–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय,मथुरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– नोडल अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड आगरा को सूचनार्थ ।

अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
जनपद– मथुरा।

पत्रांक SIB/जि0भू0ज0प्र0प0/2022–23 दिनांकः–10/07/2024

अन्तिम नोटिस/सूचना

सम्बन्धित फर्म का नामः– VAISHNAVI TEX PRINT
जनपदः– मथुरा। Plot No. E-124, Kosi Kotwali, Industrial Area, Extension-I Mathura U.P

विषयः– **भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम–2019 के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाईन एन.ओ.ए.सी./रजिस्टशान किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा GWD पोटल पर आवेदन नही किया गया है। परन्तु आपके द्वारा अवेध रूप से भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति समान रूप से निरन्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 लागू किया गया है, अधिनियम के प्राविधानों के समुचित एंव समयबद्व क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0(प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली–2020 भी जारी की जा चुकी है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत विविध प्राविधानों यथा कृषि एवं घरेलू उपयोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण, रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गमम आदि कार्य हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है। इन सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल (**https://upgwdonline.in/Nivesh Mitra**) विकसित किया गया है जिसके संचालन हेतु लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को नोडल नामित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भूगर्भ जल के वर्तमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक उपभोक्ताओं (अधिश्ठान यथा होटलो/लॉज/आवासीय कालौनियों/रिजार्टो /निजी चिकित्सालयों/ परिचर्चा गृहो/कारोवार प्रक्षेत्रों/गाला/वाटर पार्क / आर ओ प्लाट /कार धुलाई केन्द्र/कोल्ड स्टोरेज/भूगर्भ जल विक्रय व्यवसाय इत्यदि) को अपनी बोरिंग हेतु एन.ओ.सी एवं, पंजीकरण कराना अनिवार्य है, साथ ही उक्त फर्मो को रेनवाटर हार्वेस्टिग प्रणाली की स्थापना एवं फ्लोमीटर लगाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के पालन किये जाने हेतु पूर्व में भी दैनिक समाचारो के माध्यम से समय–समय पर प्रसारण किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक अपनी विद्यमान बोरिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण नही कराया है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 एवं नियमावली 2020 का अनुपालन न करने पर रू0 02 लाख से 05 लाख अर्थदण्ड अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल **(प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम–2019 के अध्याय दस के नियम 46 में दिये गये प्राविधानों** के अनुसार आप अपनी फर्म का 15 दिवस के अन्दर वेब पोर्टल (**https://upgwdonline.in/Nivesh Mitra**) पर आवेदन कर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी फर्म के विरूद्व भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें। इसमे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग विकास भवन मथुरा में सम्पर्क कर सकते है।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

पत्रांक /जि0भू0ज0प्र0प0/2021–22 दिनांकः–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय,मथुरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– नोडल अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड आगरा को सूचनार्थ ।

अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिशद्

जनपद— मथुरा।

पत्रांक 519 /जि0भू0ज0प्र0प0/2022—23 दिनांकः— 10/07/2024

अन्तिम नोटिस/सूचना

सम्बन्धित फर्म का नामः— T D Process

जनपदः— मथुरा। Plot NO. F-55 INDUStrial Area Kosi Kotwan Extension-I Mathura U.P

विषयः— **भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम—2019 के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाईन एन.ओ.ए.सी./रजिस्टशान किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम — 19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा GWD पोटल पर आवेदन नही किया गया है। परन्तु आपके द्वारा अवेध रूप से भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति समान रूप से निरन्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम—2019 लागू किया गया है, अधिनियम के प्राविधानों के समुचित एंव समयवद्व क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0(प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली—2020 भी जारी की जा चुकी है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत विविध प्राविधानों यथा कृषि एवं घरेलू उपयोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण, रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गमन आदि कार्य हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है। इन सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल (httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra) विकसित किया गया है जिसके संचालन हेतु लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को नोडल नामित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भूगर्भ जल के वर्तमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक उपभोक्ताओं (अधिश्ठान यथा होटलो/लॉज/आवासीय कालौनियॉं/रिजाडो /निजी चिकित्सालयों/ परिचर्या गृहो/कारोबार प्रक्षेत्रों/माला/वाटर पार्क / आर ओ प्लाट /कार धुलाई केन्द्र/कोल्ड स्टोरेज/भूगर्भ जल विक्रय व्यसाय इत्यदि) को अपनी बोरिंग हेतु एन.ओ.सी एवं, पंजीकरण कराना अनिवार्य है, साथ ही उक्त फर्मो को रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना एवं फ्लोमीटर लगाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के पालन किये जाने हेतु पूर्व में भी दैनिक समाचारो के माध्यम से समय—समय पर प्रसारण किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक अपनी विद्यमान बोरिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण नही कराया है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 एवं नियमावली 2020 का अनुपालन न करने पर रू0 02 लाख से 05 लाख अर्थदण्ड अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल **(प्रबन्धन और विनियमन)**अधिनियम—2019 के **<u>अध्याय दस के नियम 46 में दिये गये प्राविधानों</u>** के अनुसार आप अपनी फर्म का 15 दिवस के अन्दर वेब पोर्टल **(httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra)** पर आवेदन कर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी फर्म के विरूद्व भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम—2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें। इसमे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग विकास भवन मथुरा में सम्पर्क कर सकते है।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

पत्रांक /जि0भू0ज0प्र0प0/2021—22 दिनांकः—

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1— मुख्य विकास अधिकारी महोदय,मथुरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2— नोडल अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड आगरा को सूचनार्थ ।

अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
जनपद— मथुरा।

पत्रांक 520/जि0भू0ज0प्र0प0/2022—23 दिनांकः— 10/07/2024

अन्तिम नोटिस/सूचना

सम्बन्धित फर्म का नामः— M/s Shree BALAJI Processors
जनपदः— मथुरा। Plot No. F-91, Kosi Kotwan Extension-1 Mathura (UP)

विषयः— **भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम—2019 के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाईन एन.ओ.सी./रजिस्ट्रेशन किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम—19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा GWD पोर्टल पर आवेदन नही किया गया है। परन्तु आपके द्वारा अवैध रूप से भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति समान रूप से निरन्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम—2019 लागू किया गया है, अधिनियम के प्राविधानों के समुचित एंव समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0(प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली—2020 भी जारी की जा चुकी है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत विविध प्राविधानों यथा कृषि एवं घरेलू उपयोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण, रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गमन आदि कार्य हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है। इन सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल (**httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra**) विकसित किया गया है जिसके संचालन हेतु लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को नोडल नामित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भूगर्भ जल के वर्तमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक उपभोक्ताओं (अधिश्ठान यथा होटलो/लॉज/आवासीय कालौनियों/रिजार्डो /निजी चिकित्सालयों/ परिचर्चा गृहो/कारोबार प्रक्षेत्रों/माला/वाटर पार्क / आर ओ प्लाट /कार धुलाई केन्द्र/कोल्ड स्टोरेज/भूगर्भ जल विक्रय व्यवसाय इत्यदि) को अपनी बोरिंग हेतु एन.ओ.सी एवं, पंजीकरण कराना अनिवार्य है, साथ ही उक्त फर्मो को रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना एवं फ्लोमीटर लगाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के पालन किये जाने हेतु पूर्व में भी दैनिक समाचारो के माध्यम से समय—समय पर प्रसारण किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक अपनी विद्यमान बोरिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण नही कराया है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 एवं नियमावली 2020 का अनुपालन न करने पर रू0 02 लाख से 05 लाख अर्थदण्ड अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल **(प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम—2019 के अध्याय दस के नियम 46 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आप अपनी फर्म का 15 दिवस के अन्दर वेब पोर्टल (httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra)** पर आवेदन कर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी फर्म के विरूद्ध भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम—2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें। इसमे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग विकास भवन मथुरा में सम्पर्क कर सकते है।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

पत्रांक /जि0भू0ज0प्र0प0/2021—22 दिनांकः—
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
मुख्य विकास अधिकारी महोदय,मथुरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
नोडल अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड आगरा को सूचनार्थ ।

अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्
जनपद– मथुरा।

पत्रांक 521 /जि0भू0ज0प्र0प0/2022–23 दिनांकः– 10/07/2024

अन्तिम नोटिस/सूचना

सम्बन्धित फर्म का नामः– M/s BALAJI COLOUR CARE
जनपदः– मथुरा। Plot NO. E-118, KOSI KOTWAN EXTENSION-I Mathura (UP)

विषयः– **भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम–2019 के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाईन एन.ओ.ए.सी./रजिस्ट्रेशन किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा GWD पोर्टल पर आवेदन नही किया गया है। परन्तु आपके द्वारा अवैध रूप से भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति समान रूप से निरन्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 लागू किया गया है, अधिनियम के प्राविधानों के समुचित एंव समयवद्ध क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0(प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली–2020 भी जारी की जा चुकी है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत विविध प्राविधानों यथा कृषि एवं घरेलू उपयोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण, रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गमन आदि कार्य हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है। इन सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल (**httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra**) विकसित किया गया है जिसके संचालन हेतु लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को नोडल नामित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भूगर्भ जल के वर्तमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक उपभोक्ताओं (अधिश्ठान यथा होटलो/लॅाज/आवासीय कालोनियों/रिजार्डो /निजी चिकित्सालयों/ परिचर्चा गृहो/कारोबार प्रक्षेत्रों/माला/वाटर पार्क / आर ओ प्लाट /कार धुलाई केन्द्र/कोल्ड स्टोरेज/भूगर्भ जल विक्रय व्यवसाय इत्यदि) को अपनी बोरिंग हेतु एन.ओ.सी एवं, पंजीकरण कराना अनिवार्य है, साथ ही उक्त फर्मो को रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना एवं फ्लोमीटर लगाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के पालन किये जाने हेतु पूर्व में भी दैनिक समाचारो के माध्यम से समय–समय पर प्रसारण किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक अपनी विद्यमान बोरिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण नही कराया है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 एवं नियमावली 2020 का अनुपालन न करने पर रू0 02 लाख से 05 लाख अर्थदण्ड अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (**प्रबन्धन और विनियमन**)**अधिनियम–2019 के अध्याय दस के नियम 46 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आप अपनी फर्म का 15 दिवस के अन्दर वेब पोर्टल (httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra)** पर आवेदन कर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी फर्म के विरूद्ध भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें। इसमे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग विकास भवन मथुरा में सम्पर्क कर सकते है।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

पत्रांक /जि0भू0ज0प्र0प0/2021–22 दिनांकः–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय,मथुरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– नोडल अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड आगरा को सूचनार्थ ।

अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिशद्

जनपद– मथुरा।

पत्रांक 522/जि0भू0ज0प्र0प0/2022–23 दिनांकः– 10/07/2024

अन्तिम नोटिस/सूचना

सम्बन्धित फर्म का नामः– M/S REDOX DENIM HUB
जनपदः– मथुरा। Plot No. No. F-100, UPSIDC, Kosi Kotwan Extension-1 Mathura (U.P)

विषयः– **भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम–2019 के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाईन एन.ओए.सी./रजिस्टशान किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम – 19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा GWD पोटल पर आवेदन नही किया गया है। परन्तु आपके द्वारा अवैध रूप से भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति समान रूप से निरन्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 लागू किया गया है, अधिनियम के प्राविधानों के समुचित एंव समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0(प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली–2020 भी जारी की जा चुकी है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत विविध प्राविधानों यथा कृषि एवं घरेलू उपयोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण, रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गमन आदि कार्य हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है। इन सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल (httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra) विकसित किया गया है जिसके संचालन हेतु लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को नोडल नामित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भूगर्भ जल के वर्तमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक उपभोक्ताओं (अधिश्ठान यथा होटलो/लॉज/आवासीय कालौनियॉ/रिजार्ड /निजी चिकित्सालयों/ परिचर्या गृहो/कारोबार प्रक्षेत्रों/शाला/वाटर पार्क / आर ओ प्लाट /कार धुलाई केन्द्र/कोल्ड स्टोरेज/भूगर्भ जल विक्रय व्यवसाय इत्यादि) को अपनी बोरिंग हेतु एन.ओ.सी एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य है, साथ ही उक्त फर्मो को रेनवाटर हार्वेस्टिग प्रणाली की स्थापना एवं फ्लोमीटर लगाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के पालन किये जाने हेतु पूर्व में भी दैनिक समाचारो के माध्यम से समय–समय पर प्रसारण किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक अपनी विद्यमान बोरिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण नही कराया है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 एवं नियमावली 2020 का अनुपालन न करने पर रू0 02 लाख से 05 लाख अर्थदण्ड अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम–2019 के **अध्याय दस के नियम 46 में दिये गये प्राविधानों** के अनुसार आप अपनी फर्म का 15 दिवस के अन्दर वेब पोर्टल (httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra) पर आवेदन कर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी फर्म के विरूद्व भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें। इसमे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग विकास भवन मथुरा में सम्पर्क कर सकते है।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

पत्रांक /जि0भू0ज0प्र0प0/2021–22 दिनांकः–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय,मथुरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– नोडल अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड आगरा को सूचनार्थ ।

अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिशद
जनपद– मथुरा।

पत्रांक 523/जि०भू०ज०प्र०प०/2022–23 दिनांकः– 10/07/2024

अन्तिम नोटिस/सूचना

सम्बन्धित फर्म का नामः– ARYA INDUSTRIES

जनपदः– मथुरा। F-52, KOSI KOTWAN, EXTENSION-I KOSI KOTWAN, INDUSTRIAL AREA KOSI KALAN, MATHURA U.P

विषयः– भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम–2019 के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाईन एन.ओए.सी./रजिस्टशान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम – 19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा GWD पोटल पर आवेदन नही किया गया है। परन्तु आपके द्वारा अवैध रूप से भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति समान रूप से निरन्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ०प्र० भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 लागू किया गया है, अधिनियम के प्राविधानों के समुचित एंव समयवद्व क्रियान्वयन हेतु उ०प्र०(प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली–2020 भी जारी की जा चुकी है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अन्तर्गत विविध प्राविधानों यथा कृषि एवं घरेलू उपयोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण, रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गमन आदि कार्य हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का गठन किया गया है। इन सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल (**httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra**) विकसित किया गया है जिसके संचालन हेतु लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को नोडल नामित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भूगर्भ जल के वर्तमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक एवं सामूहिक उपभोक्ताओं (अधिश्ठान यथा होटलो/लॉज/आवासीय कालौनियॉ/रिजाडो /निजी चिकित्सालयों/ परिचर्या गृहो/कारोवार प्रक्षेत्रों/माला/वाटर पार्क / आर ओ प्लाट /कार धुलाई केन्द्र/कोल्ड स्टोरेज/भूगर्भ जल विक्रय व्यवसाय इत्यादि) को अपनी बोरिंग हेतु एन.ओ.सी एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य है, साथ ही उक्त फर्मो को रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना एवं फ्लोमीटर लगाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के पालन किये जाने हेतु पूर्व में भी दैनिक समाचारो के माध्यम से समय–समय पर प्रसारण किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक अपनी विद्यमान बोरिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण नही कराया है। भूगर्भ जल अधिनियम 2019 एवं नियमावली 2020 का अनुपालन न करने पर रू0 02 लाख से 05 लाख अर्थदण्ड अथवा 06 माह से 01 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया।

अतः उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन)अधिनियम–2019 के अध्याय दस के नियम 46 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आप अपनी फर्म का 15 दिवस के अन्दर वेब पोर्टल (**httpp://upgwdonline.in/Nivesh Mitra**) पर आवेदन कर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी फर्म के विरूद्व भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें। इसमे किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग विकास भवन मथुरा में सम्पर्क कर सकते है।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।

पत्रांक /जि०भू०ज०प्र०प०/2021–22 दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय,मथुरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– नोडल अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई प्रखण्ड आगरा को सूचनार्थ ।

अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन
परिषद/जिलाधिकारी
मथुरा।